(हजार में)

	राज्य/संघ शासित प्रदेश	देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या
6.	गुजरात	916.5
7.	हरियाणा	706.9
8.	हिमाचल प्रदेश	597.8
9.	जम्मू और कश्मीर	147.5
10.	कर्नाटक	1752.3
11.	केरल	3307.1
12.	मध्य प्रदेश	2181.3
13.	महाराष्ट्र	3691.5
14.	मणिपुर	275.5
15.	मेघालय	27.7
16.	मिजोरम	45.9
17.	नागालैण्ड	21.0
18.	उड़ीसा	940.9
19.	पंजाब	511.9
20.	राजस्थान	811.8
21.	सिक्किम*	
22.	तमिलनाडु	3438.0
23.	त्रिपुरा	201.2
24.	उत्तर प्रदेश	2496.0
25.	पश्चिम बंगाल	5435.8
संघ शासित प्रदेश		
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20.2
27.	चण्डीगढ़	152.1
28.	दादर और नगर हवेली	4.7
29.	दिल्ली	1046.2
30.	दमन और दीव	4.6
31.	लक्षद्वीप	9.6
32.	पाण्डिचेरी	151.6
	योग:	36825.1

नोट: 1. * इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. पूर्णांकों के कारण आकड़ों को योग में न जोड़ा जाए।

गैर-सरकारी क्षेत्र में खनन परियोजनाएं

2224. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खनन उद्योग में कितनी परियोजनाओं का कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपा गया है;

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाएं विदेशी खनन कंपनियों को दी गयी हैं;

(ग) खनन संबंधी अधिकार देने के संबंध में क्या मानदंड अपनाया गया है; और

(घ) ऐसे ढंग से गैर-सरकारी पार्टियों को खनन अधिकार लीज पर दिए जाने का क्या लाभ है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्दर प्रसाद वैश्य): (क) से (घ) खनन के अधिकार, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार दिये जाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से, देश में खनन गतिविधि सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों की कंपनियों द्वारा की जाती हैं। वर्ष 1994-95 के अंत तक उत्पादन कर रही तथा गौण खनिजों के अलावा गैर-परमाणु तथा गैर-ईधन खनिजों को दी गई कुल 3083 (अनन्तिम) खानों में से मात्र 316 खानें सार्वजनिक क्षेत्र में थीं। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के अनुसार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा (3) की उपधारा (1) में परिभाषित किसी कंपनी को ही खनन अधिकार दिये जा सकते हैं बशर्ते प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किसी खनिज के बारे में, केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के सिवाय, कोई पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे नहीं दिये जाएंगे। अतः किसी विदेशी कंपनी को ऐसे अधिकार दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता। रोजगार तथा किसी आर्थिक गतिविधि के राजस्व सृजन जैसे सामान्य लाभों के अलावा खनन गतिविधि में संबंधित राज्य सरकारों को रायल्टी एवं संबंधित शुल्कों के भुगतान भी शामिल रहते हैं।

कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना किया जाना

2225. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1995-96 में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना करने हेतु कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रयासों में सरकार को किस हद तक सफलता प्राप्त हुई है।

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान उत्पादन तथा रोजगार के संदर्भ में उपलब्धियों के साथ-साथ खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से निम्नलिखित मुख्य कृषि आधारित उद्योगों को आरंभ किया गया है:—

क्र०सं०	योजना	उत्पादन (अनुमानित) (करोड़ रु० में)	रोजगार (लाख में)
1.	मधुमक्खी पालन	14.81	1.95
2.	घानी तेल	360.00	0.90
3.	गुड़ और खाण्डसारी	212.88	2.14
4.	खजूर का गुड़	172.41	12.08
5.	अनाज तथा दालों का प्रसंस्करण	352.00	2.45
6.	फल एवं सब्जी तथा सुरक्षित रखना	32.61	0.32
7.	फाइबर	132.75	3.18

(ग) इन कृषि आधारित उद्योगों के लिये कार्यक्रम को पंजीकृत संस्थानों, सहकारी समितियों, राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्डों तथा राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्डों से जुड़े व्यक्तियों की सहायता से भी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

जयपुर में खान कर्मकारों का सम्मेलन

2226. **श्री सोमपाल**: क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि सितंबर, 1994 में जयपुर में खनन कार्य और खान कर्मकारों की समस्याओं के संबंध में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में की गयी चर्चा के मुख्य मुद्दे क्या थे और क्या-क्या सिफारिशें की गयी थीं;

(ग) क्या सरकार सम्मेलन में व्यक्त किए गए इन विचारों से सहमत है कि खानों के समीप स्थिति गावों की ग्राम सभाओं और पंचायतों को खनन व्यापार (व्यवसाय) और खनन मजदूरों के कल्याण तथा पर्यावरणीय प्रभावों से संबंधित मामलों के संबंध में प्रभावी भूमिका अदा करने दी जाये;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार रखती है; और

(ड़) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ड़) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्यक्रम

2227. **श्री जगन्नाथ सिंह**: क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990-91 से 1994-95 के दौरान बाल श्रमिकों की वर्ष-वार संख्या कितनी रही; और

(ख) बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा बनाये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) 1981 को जनगणना के अनुसार देश में बाल श्रमिकों की संख्या 13.6 मिलियन थी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 43वें दौर के अनुसार, देश में कामकाजी बालकों की संख्या 17.02 मिलियन थी। जबकि 1991 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों से संबंधित आंकडे अभी जनगणना महापंजीयक द्वारा उपलब्ध कराए जाने हैं, अनुमान है कि वर्तमान में कामकाजी बालकों की संख्या 20.00 मिलियन है।

(ख) राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 के अनुसार बाल श्रम की समस्या को (i) विधान (ii) बालकों के लाभ के लिए सामान्य विकास कार्यक्रम, और (iii) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से निपटाया जा रहा है।

7 व्यवसायों और 18 प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करने के लिए पहले ही बाल श्रम (प्रतिषेद्य एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 नामक एक व्यापक कानून विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, बालकों के